तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

बन्दोबस्ती वाद सं0– 08/2018–19

संग्राम मुर्मू

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– बिन्दीन

आदेश

27.05.19

प्रस्तुत बन्दोबस्ती वाद सं0 08/2018–19 अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 635/रा0, दिनांक 17.12.2018 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दिनांक 20.12.2018 को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मौजा बिन्दीन के 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गयी।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
बिन्दीन	39	503	03 बीघा 17 कट्ठा 09 धूर का अंश रकवा 00.825 डिसमिल

नोटिस तामिला प्राप्त। मौजा बिन्दीन के 16 आना रैयतों द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी प्राकार के आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है।

आवेदक को सुना। आवेदक द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर अपने नाम से बन्दोबस्ती एवं लगान निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्रांक 635/रा0, दिनांक 17.12.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा बिन्दीन के जमाबंदी नं0– 39, दाग नं0 503 रकवा 03 बीघा 17 कट्ठा 09 धूर जमीन नकल खतियान में गैर मजरूआ खास किस्म भूमि परती कदीम दर्ज है। स्थानीय जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदक उक्त भूमि के अंश रकवा जमीन पर मकान बनाकर निवास कर रहा है। ग्राम प्रधान सोलह आना रैयत से पुछताछ करने पर बताया गया कि आवेदक संग्राम मुर्मू, पिता– स्व0 सुना मर्मू भूमिहीन आदिवासी है। लगान एवं शेष आदि 1954–55 से देय होगा।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के अनुशंसा के आलोक में राजस्व की वृद्धि को ध्यान में रखकर तथा मौजा के 16 आना रैयतों से आपत्ति के अभाव में आवेदक संग्राम मुर्मू, पिता– स्व0 सुना मुर्मू, सा0– बिन्दीन, पो0– बाकुडी, थाना– तीनपहाड, जिला– साहेबगंज के नाम से बंदोबस्ती की स्वीकृति दी जाती है तथा आवेदित भूमि का लगान 100/– (एक सौ) रू0 प्रति एकड़ की दर से रकवा 00.825 डिसमिल भूमि का लगान 8.25/– रू0 अलावे शेष निर्धारित किया जाता है, जो वर्ष 1954–55 से देय होगा। उक्त भूमि अहस्तान्तरणीय होगी।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner